न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 003/2011

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री पाताराम पुत्र श्री लकमाजी जाति मेघवाल निवासी झांकर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		1. श्रीमती मगनीदेवी पत्नि श्री वीराराम जाति मेघवाल निवासी झांकर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। 2. ग्राम पंचायत जनापुर।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री कुलदीप रावल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 6326 दिनांक 25.05.2008 वर्गफीट 1755 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप रावल ने जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 6326 दिनांक 25.05.2008 वर्गफीट 1755 जारी किया है। पंचायत के अभिलेख मे भूमि के विक्रय के संबंध मे मिसल दायर संख्या 04 दिनांक 05.04.2008 को दर्ज की गई है तथा पट्टे मे भी मिसल संख्या 04 दिनांक 05.04.2008 दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि प्रार्थी श्री पाता[illegible] पट्टा संख्या 24 दिनांक 31.01.2003 को ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा जारी किया [illegible] था [illegible]द में ग्राम पंचायत जनापुर ने अप्रार्थी संख्या एक को पट्टा संख्या 6326 दिनांक 2[illegible]2008 को प्रार्थी की भूमि एवं रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुए पट्टा जारी [illegible] दिया जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी ने निर्माण करते समय रास्ता बन्द किया तब प्रार्थी को पट्टे के बारे [illegible]कारी हुई जिसकी शिकायत प्रार्थी ने जिला जन अभ[illegible] अभियोग एवं सतर्कता [illegible] सिरोही व विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को की लेकिन उस कोई कार्यवाई नहीं हुई। अतःश्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पंचायत जनापुर द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को जारी नियम विरूद्ध पट्टा संख्या 6326 दिनांक 25.05.2008 वर्गफीट 1755 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री कुलदीप रावल द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 157 (ख) के तहत रूपये 262/– शुल्क लेकर पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या एक को पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या एक का विवादित भूमि पर वर्षों पुराना कब्जा है। अप्रार्थी संख्या एक उक्त भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृति लेकर मकान बनाकर निवासरत है। अप्रार्थी संख्या एक ने अपने पट्टेशुदा भूखण्ड पर ही निर्माण किया है एवं उसने द्वारा किसी भी प्रकार का कोई रास्ता बन्द नहीं किया है। रास्ता आज भी आवागमन हेतु खुला हुआ है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक को हैरान परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से की गई बहस एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या एक को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा पंचायत के प्रस्ताव लेकर जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता का यह कथन है कि प्रार्थी श्री पाताराम को पट्टा संख्या 24 दिनांक 31.01.2003 को ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा जारी किया गया था। बाद में ग्राम पंचायत जनापुर ने अप्रार्थी संख्या एक को पट्टा संख्या 6326 दिनांक 25.05.2008 को प्रार्थी की भूमि एवं रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुए पट्टा जारी कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम पंचायत जनापुर ने अप्रार्थी संख्या एक को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत रूपये 262/– शुल्क लेकर जारी किया है एवं ग्राम पंचायत से निर्माण स्वीकृति लेकर ही अप्रार्थी संख्या एक ने मकान निर्माण किया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रार्थी श्री पाताराम को पट्टा संख्या 24 दिनांक 31.01.2003 को जारी किया था एवं उसके बाद अप्रार्थी संख्या एक पट्टा संख्या 6326 दिनांक 25.05.2008 को जारी किया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शे के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को पट्टा जारी करते समय पूर्व में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 31.01.2003 की भूमि को भी सम्मिलित कर लिया गया है। चूंकि श्री पाताराम को पट्टा संख्या 24 दिनांक 31.01.2003 अप्रार्थी संख्या एक को जारी पट्टा संख्या 6326 दिनांक 25.05.2008 से पहले ही जारी हो चुका है एवं पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर दुबारा पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर पट्टा संख्या 6326 दिनांक 25.05.2008 ग्राम पंचायत जनापुर को इस निर्देश के साथ [illegible] किया जाता है कि मौका रिपोर्ट अनुसार सही मापकर नियमानुसार पुनः पट्टा जारी करें एवं पट्टा जारी करते समय प्रार्थी के सुखाधिकार को भी ध्यान में रखा जावे। पुनः पट्टा जारी करने में पट्टा धारक से नियमानुसार आनुपातिक शुल्क [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner